

 सत्यमेव जयते	केंद्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, गांधीनगर OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST & CENTRAL EXCISE GANDHINAGAR सीमा शुल्क भवन, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा, CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA, अहमदाबाद AHMEDABAD-380009 दूरभाष Ph. 079-27542608, फ़ैक्स Fax:079-27545021 ईमेल email: rti.cgstgnr@gov.in	
---	---	---

स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड ए डी द्वारा BY SPEED POST / REGD. A.D.

क A	फाईल संख्या File Number	GEXCOM/RTI/APP/496/2021-TECH
ख B	मूल आदेश संख्या Order in Original No..	11/ RTI/2021-22
ग C	पारित करने वाला passed by	श्री बिपिन कुमार शर्मा/Shri Bippan Kumar Sharma, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, Assistant Commissioner (सू-अधि RTI), केंद्रीय वस्तु, सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गांधीनगर Central GST & Central Excise(H.Q) Gandhinagar
घ D.	आदेश / जारी करने का दिनांक Date of Order/Issue	24.08.2021
ड E	आवेदक का नाम व पता Name & Address of the applicant	श्री प्रफुल्ल कुमार महापात्रा, सी/101, रत्न लाइफस्टाइल अपार्टमेंट, प्रशांति विहार रोड, सिखरचंडी नगर, भुवनेश्वर, पिन: 751024, Shri Prafulla Kumar Mahapatra, C/101 RATNA LIFESTYLE APARTMENT, PRASHANTI VIHAR ROAD, SIKHARCHANDI NAGAR, BHUBANESWAR, Pin:751024

यह मूल आदेश की प्रति संबंधित को निःशुल्क प्रदान की जाती है ।

This Order-in-Original is granted to the concerned free of charge.

यदि कोई व्यक्ति इस मूल आदेश से स्वयं को असंतुष्ट अनुभव करता है तो वह इस आदेश के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत श्री मारुत त्रिपाठी , संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क गांधीनगर आयुक्तालय,



Kar-Mitra
@ **9157702006**



Chat with us
@**Live Seva Kendra** on
www.cgstgandhinagar.gov.in

2 री मंजिल, सीमा शुल्क भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 को अपील दाखिल कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-in-Original may file an appeal under section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 to: Shri Marut Tripathi, Joint Commissioner, Central GST & Central Excise, Gandhinagar, 2nd floor, 'Custom House', Navrangpura, Ahmedabad – 380009.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के उपबंधों के अनुसरण में इस आदेश की प्राप्ति की दिनांक से 30(तीस) दिनों के भीतर अपीलिय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।

Appeal shall be filed within 30 (thirty) days from the date of receipt of this order in accordance with the provisions of section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, before the Appellate Authority.

**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अंतर्गत आदेश
ORDER UNDER SECTION 7(1) OF THE RIGHT TO INFORMATION
ACT, 2005**

श्री प्रफुल्ल कुमार महापात्रा, सी/101, रत्न लाइफस्टाइल अपार्टमेंट, प्रशांति विहार रोड, सिखरचंडी नगर, भुवनेश्वर, पिन: 751024, ने अपना आरटीआई आवेदन ऑनलाइन किया था जिसका पंजीकरण संख्या CCEAB/R/E/21/00038 दिनांक 18.07.2021 है।

यह आवेदन पत्र मुख्य आयुक्त का कार्यालय, सीजीएसटी भवन अहमदाबाद क्षेत्र के पत्र फा.स. GCCO/RTI/APP/522/2021-TECH दिनांक 19.07.2021 के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत 23.07.2021 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

Shri Prafulla Kumar Mahapatra, C/101, Ratna Lifestyle Apartments, Prashanti Vihar Road, Sikharchandi Nagar, Bhubaneswar, Pin: 751024, had applied an online RTI application whose registration number is CCEAB/R/E/21/00038 dated 18.07.2021.

This application was forwarded to this office from the office of the Chief Commissioner, CGST & C.Ex. Ahmedabad Zone vide their letter F.No. GCCO/RTI/APP/522/2021-TECH dated 19.07.2021 under Section 6(3) of the Right to Information Act 2005. The said application was received in this office on 23.07.2021.



Kar-Mitra
@ **9157702006**



Chat with us
@Live Seva Kendra on
www.cgstgandhinagar.gov.in

इस बारे में, मुख्यालय से संबंधित अपेक्षित सूचना नीचे बताए अनुसार है। In this regards, the required information pertaining to H.Q. office is as under:-

आवेदक द्वारा मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में इस आयुक्तालय में ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है।

There is no such officer in the Commissionerate, as per the information sought by the applicant.

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी,
Central Public Information Officer,
केवसेक व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर
CGST & Central Excise, Gandhinagar

सेवा में/To

श्री प्रफुल्ल कुमार महापात्रा, सी/101,

रत्न लाइफस्टाइल अपार्टमेंट,

प्रशांति विहार रोड,

सिखरचंडी नगर,

भुवनेश्वर, पिन: 751024

प्रतिलिपि:-

1.सहायक आयुक्त (केन्द्रीय लोक सूचना का अधिकार) मुख्य आयुक्त का कार्यालय के पत्र फ़ासं.GCCO/RTI/APP/522/2021 दि.19.07.2021 के सन्धर्भ में।

2.सहायक आयुक्त, (प्रणाली अनुभाग) केंद्रीय वस्तु, सेवाकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर कार्यालय की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



Kar-Mitra
@ [9157702006](tel:9157702006)



Chat with us
@[Live Seva Kendra](https://www.cgstgandhinagar.gov.in) on
www.cgstgandhinagar.gov.in